उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1045/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(206)-2021
लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017),की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल, जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उस पर उतना उदग्रहीत राज्य कर से छूट प्रदान करती हैं, जो कि पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, अर्थात् : -

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिजुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	2.5%
5	30	इटोलिजुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाज़ोल	2.5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%

11	30	फ़ेविपिराविरि	2.5%

2. यह अधिसूचना तारीख 1अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक प्रवृत्त रहेगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव